

# कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / मान्यता / 9062-64

/ 2019-20

दिनांक 30-3-2020

प्रबन्धक,  
नोएडा पब्लिक स्कूल,  
ए-78 सैक्टर-23 नोएडा  
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय:- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 13.09.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश एव शासनादेश संख्या 89 / अरसट -3-2018-2041 / 2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्राविधानों के क्रम में मण्डलीय मान्यता समिति, की बैठक दिनांक 16.03.2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2020 -2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से -कक्षा 8 तक) की कक्षाओं के संचालन हेतु अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 6 में (या यथारिथिति 08 कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
  - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जायेगी, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये, रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	= 8100 वर्ग मी०
कुल निर्मित क्षेत्र	= 1312.68 वर्ग मी०
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	= शेष कीड़ा स्थल
कक्षाओं की संख्या	= 07
प्राध्यापक-सहकार्यालय- सहभण्डागार के लिए कक्ष	= 03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	= उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	= उपलब्ध है।
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	= उपलब्ध है।
बाधरहित पहुँच	= उपलब्ध है।
अध्यापन पठन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेल कूद, उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	= उपलब्ध है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चला जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **G.J.H.S -** है। कृपया इसे नोट कर लें और कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।


15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को करने के लिए जारी किये जायेंगे।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओं बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।

17. स्टाफ वेतनमान, सेवा शर्तें-

(क) प्राथमिक स्तर से कक्षा-5 तक के शिक्षण के लिए उ०प्र० निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-15 हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणोत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।





(ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिबीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पीओएफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के समक्ष अधिकारी एवं विद्यालय सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधि मान सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराना होगा।

18. शुल्क मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त है इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात् शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हों। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:-  
 1-शिक्षण शुल्क, 2-महंगाई शुल्क 3-विकास शुल्क 4-बिजली पानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय  
 6-विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8-क्रीडा शुल्क, 9-परीक्षा/मूल्यांकन, 10- विद्यालय समारोह/उत्सव  
 11-विशेष विषयों की शिक्षा-कम्प्यूटर/संगीत आदि।
19. विद्यालय किसी भी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
20. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
21. सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
22. मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथ पत्र दिया जायेगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेश विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।
23. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
24. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।
25. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनाएं निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तन्निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
26. विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -12(1)सी अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने का शपथ पत्र दिया जायेगा।
27. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
28. विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम एस0सी0ई0आर0टी ( राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
29. शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समस्त अद्यतन शासनादेश/विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।
30. एक वर्ष के पश्चात् मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात् विद्यालय को नियमानुसार स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। निरीक्षण कराने का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।





प्रबन्धन द्वारा विद्यालय भवन और अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक मानकों का विधिवत अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जिनका निरीक्षण समय-समय पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।


32. प्रबन्धक द्वारा मान्यता आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी पत्राजात यदि किसी प्रकार से फर्जी/कूटरचित/मिथ्या पाये जाते हैं तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के साथ-साथ प्रबन्धक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।


(धीरेन्द्र कुमार)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

- पृ०सं० / बे०शि० / /2019-20 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।  
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर।

Self Attested

(धीरेन्द्र कुमार)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर।

  
Manager  
Committee Of Management  
NOIDA PUBLIC SCHOOL  
Sector - 23, NOIDA

  
Principal  
Noida Public School  
A-78, Sector-23, Noida-201301